

## भाग II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या-.....

7- परियोजना/ स्कीम का स्थान	जनपद-सिद्धार्थनगर में रामघोषी-से बड़नी चापा मार्ग के मध्य कुआनों नदी पर चोरघटा पर निर्माणाधीन सेतु व उसके पहुँच मार्ग एवं उसके अतिरिक्त पहुँच मार्ग निर्माण में राजस्व ग्राम-सिरसिया, परगना-रसूलपुर, तहसील-डुमरियागंज, जनपद-सिद्धार्थनगर में पड़ने वाले कुल-0.552हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु अनुमति।
(i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(ii) जिला	सिद्धार्थनगर
(iii) वन प्रभाग	सा०वा० वन प्रभाग सिद्धार्थनगर
(iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.552 हे०
(v) वन की कानूनी स्थिति	राजस्व ग्राम-सिरसिया, परगना-रसूलपुर तहसील-डुमरियागंज, जनपद-सिद्धार्थनगर (आरक्षित वन भूमि)
(vi) हरियाली का घनत्व	0.3
(vii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ० आर०एल०, एफ०आर०एल०-2 मीटर पर परिगणना और एफ०आर०एल०-4 मीटर भी (संलग्न की जाये)	संलग्न है।
(viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	कोई भूक्षरण नहीं होगा।
(ix) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी।	प्रस्तावित क्षेत्र जंगल का भाग है।
(x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव, अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग हैं। (यदि हां, क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाये)	नहीं
(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन / विशिष्ट प्रजातियाँ पायी जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्योरा दे।	नहीं
(xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा संक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, तो दें।	नहीं
8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्योरों के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	लागू नहीं।

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का चौरा (I) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अबकमित वन क्षेत्र, आस-पासके वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	संलग्न है।
(II) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अबकमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
(III) रोपित की जाने वाली प्रजातियो सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	संलग्न है।
(IV) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	संलग्न है।
(V) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	संलग्न है।
11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम-7 (Xi, Xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	संयुक्त स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
12- विभाग/जिला प्रोफाइल	
(I) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	2895 वर्ग किमी0
(II) जिले का वन क्षेत्र	3052.218 हे0
(III) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	(क) आरक्षित वन क्षेत्र- 3.41 हे0 (31 मामले) (ख) संरक्षित वन क्षेत्र- 132.97 हे0
(IV) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	1-213.21 हे0 आरक्षित वन क्षेत्र 2-47.17 हे0 संरक्षित वन क्षेत्र तथा 500 पौधो का रोपण ब्रिकगार्ड में रोपण
(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	शून्य
(ख) वनेत्तर भूमि पर	शून्य
(V) प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	
(क) वन भूमि पर	208.95 हे0 आरक्षित वन क्षेत्र 45.17 हे0 संरक्षित वन क्षेत्र
(ख) वनेत्तर भूमि पर	रिक्त
13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्ताव को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

दिनांक-

स्थान- सिद्धार्थनगर ।

हस्ताक्षर  
नाम-  
सरकारी मुहर

**प्रभागीय निदेशक**  
**सामाजिक वानिकी वन प्रभाग**  
सिद्धार्थनगर

*En*  
SDO(S)